न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र सं0 : 155/2021
28/6/21

1– आसब पुत्र हसनू जाति मेव निवासी ग्राम डोटाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:——प्रार्थी

बनाम

1– ऐन्ना पत्नी फतेमोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम गाडपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

2– श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 व सपठित धारा 151 जा0दी0 निम्न पेश है :—

1– यह है कि निन प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवान का वाद पत्र विस्तृत वाकेयात के साथ अदालत श्रीमान में पेश कर दिया गया है, जिसमें वादी/प्रार्थी को कामयाबी की पूरी–पूरी आशा है।

2– यह है कि पेशकर्दा दस्तावेजात व शपथ पत्र से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद व साबित है एवं वाद वादी काबिले डिक्री है।

3– यह है कि हाल आराजी खसरा सं. 521 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी खसरा सं. 522 रकबा 0.2500 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा सं. 181 रकबा 0.3400 हैक्टेयर आराजी वाके ग्राम डोंटाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है, जो आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी

समन जारी हो

28/06/21

20/12/21 पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वादी का वाद नोट प्रेस में खारिज हो चुका है। अत: यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिक
तिजारा (अलव